रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27102026-277448
CG-DL-E-27102026-277448

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5575] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 27, 2026/कार्तिक 5, 1948
No. 5575] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 27, 2026/KARTIKA 5, 1948

सहकारिता मंत्रालय

(सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक का कार्यालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अक्तूबर, 2026

का.आ. 5793(अ).— यत:, पहचान स्थापित करने के लिए आधार संख्या का प्रयोग व्यक्तियों को आसानी से और निर्बाध रूप से सहायिकी, प्रसुविधाएं और सेवाएं प्राप्त करने में समर्थ बनाता है, पहचान स्थापित करने के लिए बहुविध दस्तावेजों की आवश्यकता को समाप्त करता है, प्रक्रियाओं को सरल बनाता है तथा पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ावा देता है;

और यत:, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के साथ परामर्श के पश्चात, अपने दिनांक 01 अक्टूबर, 2026 के पत्र संख्या 13(9)/2023-ईजी-II द्वारा सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार (यहां इसके पश्चात 'उक्त मंत्रालय' के रूप में संदर्भित) को 'सुशासन के लिए आधार अधिप्रमाणन (समाज कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियमावली, 2020' (यहां इसके पश्चात 'उक्त नियम' के रूप में संदर्भित) के नियम 3 के उप-नियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए, सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक के कार्यालय को आधार अधिप्रमाणन का कार्य करने और आधार संख्या धारक की पहचान स्थापित करने के लिए अधिप्रमाणन के दौरान आधार संख्या का प्रयोग करने की अनुमति दी थी; तथा आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का

लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (यहां इसके पश्चात 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 4 की उप-धारा (4) के खंड (ख) के उप-खंड (ii) के साथ पठित उक्त नियम के नियम 5 के अधीन इसे अधिसूचित करने हेतु अनुमति प्रदान की है;

और यत:, उक्त नियम के नियम 3 के उप-नियम (1) के अधीन यथाविनिर्दिष्ट किए गए अनुसार आधार अधिप्रमाणन का निष्पादन (i) सुशासन सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल प्लेटफार्मों के उपयोग, और (ii) निवासियों के जीवन को आसान बनाने तथा उन्हें सेवाओं तक बेहतर पहुँच प्रदान करने (यहां इसके पश्चात 'उक्त उद्देश्य' के रूप में संदर्भित) के लिए किया जाएगा, और उक्त उद्देश्य के लिए आधार अधिप्रमाणन का निष्पादन स्वैच्छिक होगा तथा सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक का कार्यालय केवल (क) सहकारी समितियों के प्रवर्तकों और निदेशक मंडलों की, समिति के पंजीकरण, उप-विधि के संशोधन और संबंधित सेवाओं के समय; (ख) सहकारी समितियों के सदस्यों की, पंजीकरण, उनके विवरणों को अद्यतन करने तथा समिति के निर्वाचन के समय; और (ग) सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक के कर्मियों और अन्य सेवा प्रदाताओं की, प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए; पहचान स्थापित करने के लिए आधार अधिप्रमाणन का कार्य करेगा, ताकि प्रतिरूपण, दोहराव और कपटपूर्ण गतिविधियों को रोका जा सके तथा सटीकता और अखंडता सुनिश्चित की जा सके [यहां इसके पश्चात् 'उपयोग प्रकरण' के रूप में संदर्भित], जिसके लिए हाँ/नहीं या/और ई-केवाईसी अधिप्रमाणन सुविधाओं का उपयोग किया जाएगा।

अत:, अब, अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (4) के खंड (ख) के उप-खंड (ii) के साथ पठित उक्त नियम के नियम 5 के अनुसरण में, उक्त मंत्रालय एतद्वारा निम्नलिखित को अधिसूचित करता है, अर्थात् : —

1. (1) उक्त मंत्रालय, अधिनियम में उपबंधित किए गए अनुसार, अधिप्रमाणन के प्रयोजन से आधार संख्या धारक की सूचित सहमति प्राप्त करेगा;

(2) उक्त नियम के नियम 3 के उप-नियम (2) के अनुसार, आधार अधिप्रमाणन स्वैच्छिक आधार पर है, उक्त मंत्रालय आधार संख्या धारक को पहचान के वैकल्पिक और व्यवहार्य तरीकों के बारे में सूचित करेगा और आधार संख्या धारक को आधार अधिप्रमाणन करने से मना करने, या उसमें असमर्थ होने पर किसी सेवा से इनकार नहीं करेगा, अर्थात्: —

(क) फोटोयुक्त बैंक या डाकघर पासबुक;
(ख) स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड;
(ग) किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी);
(घ) पासपोर्ट;
(ङ) राशन कार्ड;
(च) मतदाता पहचान पत्र;
(छ) किसान फोटो पासबुक;
(ज) ड्राइविंग लाइसेंस;
(झ) कोई अन्य दस्तावेज, जो उक्त मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की दिनांक से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. पी-11/2/2026- एमओसी]

शिव पाल सिंह, संयुक्त सचिव एवं सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक

MINISTRY OF COOPERATION

(Office of Central Registrar of Cooperative Societies)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd October, 2026

S.O. 5793(E).— Whereas the use of Aadhaar number to establish identity enables individuals to receive subsidies, benefits and services in a convenient and seamless manner, obviates the need for multiplicity of documents to establish identity, simplifies processes and promotes transparency and efficiency;

And whereas, the Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India, after consultation with the Unique Identification Authority of India (UIDAI), had allowed *vide* its letter No. 13(9)/2023-EG-II, dated 01st October, 2026 to the Ministry of Cooperation (hereinafter referred to as the said Ministry), Government of India for the purposes specified under sub-rule (1) of rule 3 of the Aadhaar Authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation, Knowledge) Rules, 2020 (hereinafter referred to as the said rules), that the Office of Central Registrar of Cooperative Societies may be allowed to perform authentication and be permitted the use of Aadhaar number during authentication for establishing identity of the Aadhaar number holder and to notify the same under rule 5 of the said rules read with sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (4) of section 4 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (hereinafter referred to as the Act);

And whereas, the Aadhaar authentication shall be performed for (i) Usage of digital platforms to ensure good governance (ii) Promoting ease of living of residents and enabling better access to services for them (hereinafter referred to as the said purpose) as prescribed under sub-rule (1) of rule 3 of the said rules and the performance of Aadhaar authentication for the said purpose shall be on voluntary basis and the Office of Central Registrar of Cooperative Societies shall perform the Aadhaar authentication only for establishing the identity of (a) promoters & board of directors of cooperative societies at the time of society registration, amendment of bye-law and related services; (b) members of cooperative societies for registration, updation of their details and at the time of societies elections; (c) Central Registrar of Cooperative Societies officials and other service providers for administrative purposes; to prevent impersonation, duplication, fraudulent activities, and to ensure accuracy & integrity, using Yes/No or/and e-KYC authentication facilities [hereinafter referred to as the use case(s)].

Now, therefore, in pursuance of rule 5 of the said rules read with sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (4) of section 4 of the Act, the said Ministry hereby notifies the following, namely: —

1. (1) The Ministry, as provided in the Act, shall obtain the informed consent of the Aadhaar number holder for the purpose of authentication herein;

(2) As per sub-rule (2) of rule 3 of the said rules, Aadhaar authentication is on voluntary basis, the said Ministry shall inform to the Aadhaar number holder of alternate and viable means of identification and shall not deny any service to the Aadhaar number holder for refusing to, or being unable to, undergo Aadhaar authentication, namely: —

a. Bank or Post-Office Passbook with Photo;

b. Permanent Account Number (PAN) Card;

c. Kisan Credit Card (KCC);

d. Passport;

e. Ration Card;

f. Voter Identity Card;

g. Kisan Photo Passbook;

h. Driving License;

i. Any Other document as the said Ministry may specify.

2. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. P-11/2/2026-MoC]

SHIV PAL SINGH, Jt. Secy. & Central Registrar of Cooperative Societies

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

BHABAJIT DEKA Digitally signed by BHABAJIT DEKA Date: 2026.10.27 22:09:06 +05'30'